न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 281 वर्ष 2024–25

आवेदक– जिरिया देव वगै0 | केता– तारा देवी
ग्राम– बोदरो | ग्राम– बोदरो
थाना– नावाडीह | जिला–बोकारो | थाना–नावाडीह | जिला–बोकारो

आदेश की क्र0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख 03

आदेश

यह वाद आवेदक–1. **जिरिया देवी पति–स्व0 फूलचंद महतो 2. तुलसी महतो पिता–स्व0 विसन महतो 3. गोविन्द महतो पिता–स्व0 निमक महतो 4. रूपलाल महतो 5. नरेश महतो दोनों के पिता–स्व0 मुरत महतो वर्तमान निवास ग्राम–बोदरो, टोला–तिलैयाटांड, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
बोदरो	**57**	**40**	**1107**	**55 डी0**	**6.87 डी0**	**रैयती**
			1107	**55 डी0**	**3.43 डी0**	
			1107	**55 डी0**	**1.71 डी0**	
			1107	**55 डी0**	**0.86 डी0**	
			1107	**55 डी0**	**0.86 डी0**	

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो0 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) रूपये में केता–**तारा देवी पति–घनश्याम महतो वर्तमान निवास ग्राम–बोदरो, टोला–तिलैयाटांड, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 363/न्या0, दिनांक 06.03.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी नावाडीह से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी नावाडीह के पत्रांक–463, दिनांक–15.05.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं केता दोनों कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में आवेदकगण के परदादा तथा परदादा ससुर जेठु महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0 362/I में कार्तिक महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष 2024–25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा परपोता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एंव बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में आवेदकगण के परदादा तथा परदादा ससुर जेठु महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0 362/I में कार्तिक महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष 2024–25 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कथन है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिकेता एवं केता दोनों कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी उत्तराधिकार से प्राप्त है तथा हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक–**1. जिरिया देवी पति–स्व0 फूलचंद महतो 2. तुलसी महतो पिता–स्व0 विसन महतो 3. गोविन्द महतो पिता–स्व0 निमक महतो 4. रूपलाल महतो 5. नरेश महतो दोनों के पिता–स्व0 मुरत महतो वर्तमान निवास ग्राम–बोदरो, टोला–तिलैयाटांड, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पू0 सीमा	प0 सीमा
बोदरो 57	**40**	**1107**	**55 डी0**	**6.87 डी0**	**मोहर महतो**	**चुड़ी सोनार**	**मोहर महतो**	**रास्ता वाके**
			55 डी0	**3.43 डी0**				
			55 डी0	**1.71 डी0**				
			55 डी0	**0.86 डी0**				
			55 डी0	**0.86 डी0**				

मो0 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता–**तारा देवी पति–घनश्याम महतो वर्तमान निवास ग्राम–बोदरो, टोला–तिलैयाटांड, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.11.07 12:40:38 +05:30
Location: 10.93.6.142